

Missing No. 30
25 July

भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 27]

नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 4, 1981/आषाढ़, 13, 1903

No. 27]

NEW DELHI, SATURDAY, JULY 4, 1981/ASHADHA 13, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II — खण्ड 3 — उप-खण्ड (i) PART II — Section 3 — Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर)
केन्द्रीय अधिकारियों द्वारा विधि के अस्तित्व बनाए और जारी किए गए साधारण नियम
जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं।

General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of a general character) issued
by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence)
and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय
(विधि कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 9 जून 1981

सं० का० नि० 611:—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के
परन्तु द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विधि, न्याय और
कम्पनी कार्य मंत्रालय, विधि कार्य विभाग और विधायी विभाग (समूह व
पद) शर्ती नियम, 1975 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित
नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विधि, न्याय और कम्पनी
कार्य मंत्रालय, विधि कार्य विभाग और विधायी विभाग (समूह व पद),
शर्ती (संशोधन) नियम, 1980 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे। विधि
न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय विधि कार्य विभाग और विधायी विभाग
(समूह व पद) शर्ती नियम, 1975 में नियम 4 के स्थान पर निम्नलिखित
नियम रखा जाएगा, अर्थात्:—

“4 क कपरागी के रूप में नियुक्त व्यक्तियों को प्रोमोशन के
रूप में प्रशिक्षण देने का प्रावित्व: इन नियमों में किसी बात के होते
हूँ भी इन नियमों के अन्तर्गत कपरागी के रूप में नियुक्त प्रत्येक
व्यक्ति प्रोमोशन के रूप में तीन वर्ष का प्रशिक्षण लेगा;

परन्तु प्रशिक्षण के दौरान किसी व्यक्ति के कार्य तथा उसके द्वारा
प्राप्त प्रशिक्षण स्तर को ध्यान में रखते हुए महासमावेष्टा, होमगार्ड, उत्तरी
निर्णय जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके ऐसी प्रवृत्ति को पटा कर दी गई
कर सकेगा।”

[फा० सं०-ए-12018(1)/75 प्रशा० II (वि० का०)]
एच. जी. मंडल, सचिव

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS
(Department of Legal Affairs)

New Delhi, the 9th June, 1981

G.S.R. 611.—In exercise of the powers conferred by the
proviso to article 309 of the Constitution, the President here-
by makes the following rules further to amend the Ministry
of Law, Justice and Company Affairs, Department of Legal
Affairs and Legislative Department (Group D posts) Recruit-
ment Rules, 1975, namely:—

- (1) These rules may be called the Ministry of Law,
Justice and Company Affairs, Department of Legal
Affairs and Legislative Department (Group D posts)
Recruitment (Amendment) Rules, 1980.
- (2) They shall come into force on the date of their
publication in the official Gazette.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 17 जून 1981

सं० सां नि० 019—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति एतद्वारा सी० सी० जी० बैरसन प्रयोगशाला, गिरी मद्रास में कृत्रिम प्रजननात्मक अनुसन्धान और अनुसन्धान समूह 'ग' के पदों पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाने हैं, अर्थात्

1. संक्षिप्त शीर्षक और शीर्षक : इन नियमों का नाम सी० सी० जी० बैरसन प्रयोगशाला गिरी, मद्रास (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 1981 है।
2. ये मर्यादित राजपत्र में प्रकाशित होने की शक्ति से लागू होंगे।
3. उपाधोक्त : ये नियम इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के बालम 1 में उल्लिखित पदों पर लागू होंगे।
4. संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान : पदों की संख्या उनका वर्गीकरण तथा वेतनमान यही होंगे जैसा कि अनुसूची के बालम 2 से 4 में निदिष्ट है।
5. भर्ती की विधि, छायासीमा, प्रवृत्ताये आदि : उक्त पदों पर भर्ती की विधि, छायासीमा, प्रवृत्ताये तथा अन्य बातें यही होंगी जैसा कि उक्त अनुसूची के बालम 5 से 14 में निदिष्ट है।
6. प्रवृत्ताये : कोई व्यक्ति

(क) जो किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह करता/करती है अथवा विवाह की संविदा करता/करती है जिसका कि पति या जिसकी पत्नी जीवित हो, अथवा (ख) जो व्यक्ति एक पति/एक पत्नी के जीवन रहते हुए किसी व्यक्ति के साथ विवाह करता/करती है अथवा विवाह की संविदा करता/करती है, सेवा में नियुक्त होने का पात्र नहीं है/होगा।

परन्तु केन्द्रीय सरकार यह समाधान होने पर कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के दूमेरेपक्षकार पर लागू होने वाली स्थिति विधि के अन्तर्गत अनुमोदित है, और ऐसा करने के द्वारा आधार है, किसी भी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है।

8. छूट देने की शक्ति : जहाँ केन्द्रीय सरकार का यह विश्वास हो कि छूट देना आवश्यक या उचित है, वहाँ यह संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से और लिखित कारणों के आधार पर आदेश द्वारा किसी श्रेणी या वर्ग से संबंधित व्यक्तियों को इन नियमों के किसी उपबन्ध से छूट दे सकती है।

7. व्यवृत्ति : इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये जिन आरक्षणों और अन्य रियायतों की व्यवस्था करना अपेक्षित है, उन पर इन नियमों की किसी बात का प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

पद का नाम	वर्गों का संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	अन्य पद अथवा प्रवृत्त पद	क्या केन्द्रीय मंत्री भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों की (पेंशन) छाया सीमा नियमावली, 1972 के नियम 30 के अंतर्गत जोड़े गये सेवा वर्गों का माप ग्राह्य है	मौखे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य प्रवृत्ताये	मौखे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य प्रवृत्ताये
1	2	3	4	5	6	7	8
1. कार्यस्थ मधीक्षक	* 1 (एक)	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' प्रगज-पत्रिम अनुसन्धानीय	550-20-650-25-750 रुपये	अचयन	नहीं	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित प्रायः प्रारंभिक प्रहस्ताप प्रोन्नति की दशा में लागू होंगे या नहीं	प्रशिक्षण की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा प्रथम प्रशिक्षण/स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती की दशा में श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति स्थानांतरण किया जाएगा	यदि विधायीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------

9	10	11	12	13	14
लागू नहीं होता	को बचे	प्रोन्नति द्वारा प्रतिनियुक्ति पर	प्रोन्नति हेतु कदम रोक में नियमित सेवा प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण केन्द्रीय सरकार के अधीन काम करने वाले कर्मचारी जो सभान पदों पर कार्य कर रहे हों प्रथम 425-700 रुपये के वेतनमान प्रथम समतुल्य वेतनमान से पाँच वर्ष की सेवा कर चुके हों और प्रशासनिक/लिखा संबंधी कार्य का अनुभव रखते हों (साधारणतया तीन वर्ष से अधिक भर्ती)।	1 निदेशक, बी० सी० जी० वैक्सीन प्रयोगशाला—अध्यक्ष 2 दो उप-सहायक निदेशक, बी० सी० जी० वैक्सीन प्रयोगशाला गिरी, मद्रास—सदस्य 3 सीनियर सहायक निदेशक, कियु इन्स्टीट्यूट, तमिलनाडु सरकार गिरी मद्रास—सदस्य	लागू नहीं होता।

(त० 12018/3/78-प्रशा०—11/बी०एच०)

गुणिमा जैन, धरर राजिव

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE

New Delhi, the 17th June, 1981

G.S.R. 619.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to certain non-gazetted Ministerial & non-Ministerial Group 'C' posts in the B.C.G. Vaccine Laboratory, Golundy, Madras, namely :—

1 Short title and commencement :—(1) These rules may be called the B.C.G. Vaccine Laboratory, Golundy, Madras (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 1981.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2 Application :—These rules shall apply to the posts specified in Column 1 of the Schedule annexure to these rules.

3. Number of posts, Classification and scale of Pay :—The number of the said posts, their classification and the scales of pay attached thereto shall be as specified in Columns 2 to 4 of the said Schedule.

4. Method of Recruitment, age limit and qualifications etc. :—The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns 5 to 14 of the Schedule aforesaid.

5. Disqualification—No person—

- who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living or
- who having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to any of the said posts :

Provided that the Central Government may if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such persons and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax :—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving :—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

S. No.	Name of post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether Selection post or non-Selection Post	Whether benefit of added years admissible under rule 30 of the CCS (Pension) rules 1972)	Age limit for direct recruitment	Educational and other qualifications required for direct recruitment
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Office Superintendent	*1 (one)	General Central Service Group 'C' Non-gazetted	Rs. 550-20-650-25-750	Non-Selection	No	Not applicable	Not applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of Probation if any.	Method of rectt. whether by direct rectt. or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of rectt. by promotion deputation/transfer grades from which promotion/deputation/transfer to be made.	If a D.P.C. exists what is its composition.	Circumstances in which U.P. S.C. is to be consulted in making recruitment.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------

9

10

11

12

- 13

14

Promotion :					
1. Not Applicable	Two years	By promotion failing which by transfer on deputation	Head Clerk with 5 years regular service in the grade.	1. Director, B.C.G. Vaccine Laboratory —Chairman 2. Two Deputy Assistant Directors B.C.G. Vaccine Laboratory, Guindy, Madras —Members. 3. Assistant Director (Senior) King Institute, Guindy, Madras —Member.	Not Applicable
			Transfer on deputation : Officer under the Central Govt. holding analogous posts or with five years' service in the post in the scale of Rs.425-700 or equivalent scale experience in administration/ accounts matters. (Ordinarily not exceeding 3 years).		

[No. 12018/4/78-Admn. II/PH]
PURNIMA JAIN, Under Secy.